

संख्या: 1-25/83- पर्यटन-

दिनांक

19 जनवरी 2023

नोटिस

पर्यटन एवं नागरिक उडडयन,कार्यालय ब्लॉक न0 28 एस0 डी0 ए0 कम्पलैक्स कसुम्पटी शिमला 9 में नकारा किये गये विभिन्न प्रकार के सामान को नीलाम हेतु बन्द लिफाफे में टैन्डर आमंत्रित किये जाते हैं जो कि निदेशालय पर्यटन एवं नागरिक उडडयन,कार्यालय ब्लॉक न0 28 एस.डी.ए.कम्पलैक्स कसुम्पटी शिमला 9 में दिनांक 08.02.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक पहुंचने चाहिए । टैन्डर दाता यह सुनिश्चित करें कि वह नकारा की जाने वाली वस्तुओं के रेट प्रत्येक वस्तुवार प्रस्तुत करें । यह टैन्डर उसी दिन पर्यटन विभाग के बैठक कक्ष में दोपहर 2.00 बजे टैन्डर दाता अथवा उनके प्रतिनिधियों जो भी उपस्थित होना चाहेंगे के समक्ष खोले जायेंगे। नकारा की गई वस्तुओं का वास्तविक मुल्य 7,56,173 रू0 है ।

टैन्डर दाता मु0 7,56,173 रू0 की राशी की नकारा की गई वस्तुओं की सूची निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उडडयन,कार्यालय ब्लॉक न0 28, एस0 डी0 ए0, कम्पलैक्स कसुम्पटी शिमला 9 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से लेकर सांय 5.00 बजे तक विभागीय कर्मचारी से प्राप्त कर सकते हैं तथा सामान की देख रेख भी कर सकते हैं ।

नियम एवं शर्तें

- 1 टैन्डर जमा करवाते समय मु0 3000/- रू0 की राशि नकद विभागीय कैशियर पर्यटन विभाग के पास दिनांक 01.02.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा की जा सकती है जिस टैन्डर के साथ अग्रिम धनराशि जमा नहीं होगी उन्हे सीधे अस्वीकृत किया जायेगा ।
- 2 जिस टैन्डर दाता का अधिकतम राशि के आधार पर टैन्डर होगा स्वीकार कर लिया जायेगा तथा टैन्डर राशि उसी दिन एक मुशत जमा करके सामान उसी दिन सांय 5.00 बजे तक उठाना होगा । अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधियों व नीलाम समिति को कोई भी कारण बताए टैन्डर या बोली को रदद या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

निदेशक

पर्यटन एवं नागरिक उडडयन,
हिमाचल प्रदेश,शिमला-9

प्रतिलिपि 12300

- 1 प्रचार अधिकारी पर्यटन एवं नागरिक उडडयन,हि0 प्र0 शिमला 9 उक्त नोटिस को विभाग की Website पर डालने की कृपा करें ।
- 2 नगर निगम शिमला को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है ।
- 3 उपमण्डलाधिकारी शिमला (शहरी एवं ग्रामीण) को सूचनार्थ प्रेषित है ।

निदेशक
पर्यटन एवं नागरिक उडडयन,
हिमाचल प्रदेश,शिमला-9